प्ररुप .21 ग (नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।

130- लूणी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि -

श्री जोगाराम पटेल, रामालय 567, 8 वी सी रोड़ सरदारपुरा, जोधपुर जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए है।

उपर्युक्त निर्वाचन - क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप में निर्वाचित हो गए है।

स्थान जोधपुर दिनांक 03/12/2023

(पुखराज कांसोटिया)

रिटर्निंग अधिकारी 130- लूणी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, लूणी

> **विकरित क्योजनकरी** (130)-**जूजी कियांगर्गात्वा विकर्ण क्षेत्र** पराजण्ड **अविकारी वृत्त उच्चान्क विकार्दर** हुन्ती

Form 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan State from the 130-Luni Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that -

Shri JOGARAM PATEL, 'RAMALAYA' 567, 8th C ROAD SARDARPURA, JODHPUR. Sponsored by BHARTIYA JANTA PARTY has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency

Place JODHPUR

Dated 03.12.2023

(Pukhraj Kansotia)

Returning Officer

130-Luni Assembly Constituency
Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate, Luni